



Speed Post

No 1/12/2014-VS (CRS)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय /

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block -I, R.K. Puram, New Delhi - 110066

Tele-fax: 26104012 E-mail - drg-crs.rgi@censusindia.gov.in rkgaumiss.rgi@nic.in

Dated: 30-06-2015

To,

All Chief Registrar of births and deaths

Sub: Correction in name and date of birth of the child in birth record -clarification sought.

Sir,

This office has received requests from many States regarding procedure to be followed in respect of change in name and date of birth of the child in birth record. As you are aware that based on the clarification given by the Union Law Ministry in the past (which was published in the Handbook on Civil Registration) change of name is not allowed in the registration record. However, in respect of change in name, the Ministry of Law has allowed to put 'alias' between both names. This procedure is followed in many States.

2: Taken into consideration the request received from various quarters through Court Orders or individual applications, it is observed that errors in name in birth record occurs due to negligent recording by hospital authorities or by the informant in birth reporting forms. Applications for correction in name are filed by the individuals when the birth certificates are to be produced for school admission, issue of passport etc.

Considering the requirements of birth certificate with correct names, it has been decided that the request of change in name may be considered by the Registrar, if he/ she is satisfied with the authenticity of the documents submitted by the applicant, the Registrar is authorized to consider the request of change in name. As far as possible, the concern Registrar may use the term 'alias' in respect of change in name and prefer to write both names in the birth certificate after making necessary entry in the remarks column of birth register. In case 'alias' is not acceptable to the applicant, then necessary changes in the




प्रत्येक जन्म एवम् मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें
"Ensure Registration of Every Birth and Death"

name may be done upon the satisfaction of the registrar on the authenticity of the documents furnished by the applicant. After making changes, necessary entry should be made in the remarks column of the birth register and mention the date of correction and both names in the remarks column of birth register.

3. So far as correction in date of birth is concerned, it is clarified that the entries made in the birth and death registers are admissible as evidence under section 35 of the Indian Evidence Act, 1872 and these entries are conclusive evidence of the fact of birth or death, as the case may be. In view of the above fact, correction in date of birth is not to be allowed unless it is proved to the satisfaction of the Registrar that a fraudulent entry regarding date of birth was made at the time of reporting/ registering the event.

4. You are requested to issue the necessary guidelines to the concerned registration authorities for compliance. However, Registrars should be asked not to encourage the practice of change in name and date of birth in the birth record. It should be done as a last resort.

Yours faithfully


(R. K. Gautam)
Deputy Registrar General



प्रत्येक जन्म एवम् मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें/
"Ensure Registration of Every Birth and Death"



सं.1/12/2014-वीएस-(सीआरएस)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

दूरभाष-26104012,

ई-मेल-drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

rkgautamiss.rgi@nic.in

दिनांक: 30.06.2015

सेवा में,

सभी मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु ।

विषय: जन्म रिकार्ड में बच्चे के नाम और जन्मतिथि में शुद्धि करने के लिए मांगा गया स्पष्टीकरण ।

महोदय,

इस कार्यालय में जन्म रिकार्ड में बच्चे के नाम और जन्मतिथि में परिवर्तन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कई राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं । जैसाकि आपको ज्ञात है कि विगत में संघीय विधि मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर (जो नागरिक पंजीकरण की पुस्तिका में प्रकाशित किया गया था) रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में नाम के परिवर्तन की अनुमति नहीं है । फिर भी, नाम में परिवर्तन के संबंध में, विधि मंत्रालय ने दोनों नामों के बीच 'उर्फ' लगाने की अनुमति दे रखी है । यह प्रक्रिया काफी राज्यों में अपनाई गई है ।


2. इस संबंध में न्यायालय आदेशों अथवा वैयक्तिक आवेदनों के माध्यम से विभिन्न भागों से प्राप्त अनुरोध पर विचार करते हुए, यह देखने में आया है कि जन्म रिकार्ड में नाम में गलतियां, हस्पताल के अधिकारियों द्वारा अथवा सूचक द्वारा जन्म रिपोर्टिंग फार्म में लापरवाही से दर्ज करने के कारण होती हैं । नाम में शुद्धियों के आवेदन व्यक्तियों द्वारा तब ही प्रस्तुत किए जाते हैं जब विद्यालय में प्रवेश लेने, पासपोर्ट जारी करने इत्यादि के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं । सही नामों के साथ

जन्म प्रमाणपत्रों की मांगों पर विचार करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि नाम में परिवर्तन के अनुरोध पर रजिस्ट्रार द्वारा विचार किया जा सकता है यदि रजिस्ट्रार आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता से संतुष्ट हो जाता/जाती है तो वह नाम में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार करने के लिए अधिकृत है। जहाँ तक सम्भव हो, संबंधित रजिस्ट्रार नाम में परिवर्तन के संबंध में 'उर्फ' शब्द का प्रयोग करे और जन्म रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टि करने के पश्चात जन्म प्रमाणपत्र में दोनों नामों को लिखने को अधिमान दे। यदि आवेदक को 'उर्फ' स्वीकार्य न हो तो नाम में आवश्यक परिवर्तन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर रजिस्ट्रार की संतुष्टि पर किया जा सकता है। उक्त परिवर्तन करने के पश्चात, जन्म रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज की जानी चाहिए और जन्म रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में शुद्धि की तिथि और दोनों नामों का उल्लेख करें।

3. जहाँ तक जन्मतिथि में शुद्धि का संबंध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रारों में प्रविष्टियां भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और ये प्रविष्टियां जन्म अथवा मृत्यु जो भी हो, के तथ्य का निर्णायक साक्ष्य है। उपर्युक्त तथ्य को मद्देनजर रखते हुए, जन्मतिथि में शुद्धि की अनुमति नहीं होनी चाहिए, जब तक कि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि जन्म तिथि में घटना की रिपोर्टिंग/रजिस्ट्रीकरण के समय, पर एक कपटपूर्ण प्रविष्टि की गई थी।

4. आप से अनुरोध है कि संबंधित पंजीकरण अधिकारियों को अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। इसी के साथ ही, रजिस्ट्रारों को जन्म रिकार्ड में नाम और जन्मतिथि में परिवर्तन की प्रथा को प्रोत्साहित न करने की हिदायत दी जानी चाहिए तथा इसे अन्तिम आश्रय के रूप में किया जाना चाहिए।

भवदीय,



(आर.के.गौतम)

उप महारजिस्ट्रार